

निर्णय बईजलास करतार सिंह पूनियाँ, आर०ए०एस०, अति० जिला कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

प्रकरण सख्या 11/19

दायरा- 08.03.19

राजस्थान सरकार जर्जे पुलिस अधीक्षक झालावाड़

सायल

बनाम

लालसिंह आ० करण सिंह राजपूत निवासी गंगधार

गैर सायल

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :- गैर सायल स्वयं

:- आदेश :-

दिनांक :-03.06.19



संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि थानाधिकारी गंगधार द्वारा जर्जे पुलिस अधीक्षक झालावाड़ गैरसायल लालसिंह आ० करण सिंह राजपूत निवासी गंगधार के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन हेतु उनके पत्र संख्या 880 दिनांक 31.01.19 द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि गैर सायल के विरुद्ध थाना गंगधार जिला झालावाड़ में निम्न मुकदमें दर्ज है :-

क्र०स०	इस्तगासा पेश करने की दिनांक	धारा	प्रकरणों की स्थिति
1	196/16	13 आरपीजीओ	50/- जुर्माना
2	83/17	13 आरपीजीओ	100/ जुर्माना
3	186/17	13 आरपीजीओ	100/ जुर्माना

जिनमें न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है। इसके बावजूद भी वह अन्य अवैध कार्य एवं लडाई झगडा, मारपीट आदि आपराधिक गतिविधियों मे लिप्त रहता है। गैर सायल की आम शोहरत यह है कि यह इतना कुख्यात एवं दुःसाहस, है कि आमजन इसकी अपराधों की रिपोर्ट करने या इसके विरुद्ध गवाही देने से डरते हैं इस कारण इसके द्वारा किये जा रहे अपराध रिकार्ड पर दर्ज नहीं हो रहे हैं। इसका स्वच्छन्द रहना समाज के लिए परिसंकटमय है। अतः गैर सायल के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

प्रकरण दर्ज कर गैर सायल को जर्जे नोटिस तलब किया गया। गैर सायल उपस्थित हुआ गैर सायल द्वारा अनुरोध किया गया कि अब शांति पूर्वक जीवन यापन कर रहा है, खेती करके परिवार का भरण पोषण कर करता हूँ, अतः इस्तगासा खारिज फरमाकर प्रकरण निरस्त फरमाया जावे।

मैंने गैर सायल की मौखिक बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। इस्तगासे में प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्यों के आधार पर राज०गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत सन्तुष्ट होकर मैं गैर सायल को गुण्डा घोषित करता हूँ और निम्न आदेश पारित करता हूँ।

Law
अति० कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

--: आदेश :-

लालसिंह आ० करण सिंह राजपूत निवासी गंगधार को दिनांक 04.06.19 से 7 दिन (सात दिवस) के लिए जिला झालावाड़ की सीमाओं से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस अवधि में वह पुलिस थाना रामगंजमण्डी जिला कोटा के थानाधिकारी को प्रति दिन थानाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होकर अपनी गतिविधियों की सूचना देता रहेगा। गैर सायल न तो कोई घातक हथियार अपने पास रखेगा और ना ही काम में लेगा, ना किसी प्रकार के मादक द्रव्य मदिरा, अफीम, गाँजा, चरस, भांग आदि का या विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तु का कब्जा अपने पास रखेगा। किसी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, मेला हाट आदि के समीपस्थ दूरी के भीतर उपस्थित नहीं होगा। शान्ति बनाये रखने व सदाचारी बने रहने हेतु 10,000/-रु० अक्षरे (दस हजार रूपये) के स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 03.06.19 को खुले न्यायालय में टंकित कराया जाकर, मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। निर्णय की प्रति शामिल पत्रावली रहे।



Law
अति० जिला कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
अति० झालावाड़ जिल्ला
झालावाड़ (राज०)